>

15.06Â¾ hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Matters under Rule 377 listed for the day are treated as laid on the Table of the House.

Title: Need to expedite the re-opening of Sindri Fertilizer Factory in Jharkhand.

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री, रसायन एवं उर्वरक, इस्पात का ध्यान 2002 से बंद झारखण्ड राज्य स्थित एक मात्र सिन्द्री खाद कारखाने को पुनः चालू करने का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं होने की ओर आकृÂष्ट करते हुए सूचित करना चाहता हूं कि वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के अंदर उर्वरक के उत्पाद में बढ़ोत्तरी की दिशा में पहल कर पी0डी0आइ0एल0 के विशेÂज्ञ दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं प्रतिवेदन की पूर्ण समवीक्षा कर सिन्द्री खाद कारखाने को चालू करने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जा चुका है। केबिनेट की मंजूरी के बाद भी सिन्द्री कारखाना को चालू करने का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है। इस कारखाने के उत्पाद से न केवल झारखण्ड अपितु बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को उत्तम किसम के उर्वरक की आपूर्ति होती थी। इसके बंद होने से पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में खाद की कमी होने के कारण किसानों, व्यवसायियों तथा कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उर्वरक आयात से आयातित व्यवसाय अतिशेष पर भी भार बढ़ा है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि सिन्द्री कारखाना को चालू करने का कार्य प्रथम प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रारंभ कराया जाये। यह यू0पी0ए0 सरकार की प्रतिबद्धता है, इसे चौदहवीं लोक सभा के कार्यकाल के अंतर्गत अवश्य पूर्ण कराया जाये।

* Treated as laid on the Table